संख्याः– 1083/57–म–2001–10–7(27)/84

प्रेषक,

बी0एम0 मीना,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी
उत्तर–प्रदेश
2– अध्यक्ष
समस्त मत्स्य पालक विकास अभिकरण
उत्तर–प्रदेश

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 21 अप्रैल,2001

विषयः– केन्द्र पुरोनिधानित मछुआ कल्याण योजनान्तर्गत मछुआ आवासों के निर्माण हेतु जनपदों, ग्रामों एवं लाभार्थियों के चयन प्रकिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मछुआ आवासों के निर्माण हेतु जनपदों में लाभार्थियों के चयन, मछुआ आवासों का इंदिरा आवास की भांति निर्मित कराये जाने, निर्माण हेतु भुगतान किए जाने आदि के सम्बन्ध में नीति–निर्देश एवं प्रकिया शासनादेश संख्या 3824/57–म–96–10–7(27)/84, दिनांक 03 अगस्त,1996 द्वारा किए गए है। योजना के भौतिक लक्ष्यों की समीक्षा में निर्माण/चयन में आने वाली कतिपय कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश के अनुक्रम में निम्न निर्णय लिया गया हैः–

1. योजना के अन्तर्गत मछुआ आवास का निर्माण इंदिरा आवास की भांति ही कराया जायेगा, किन्तु आवासों का निर्माण समूह में ही कराया जाना आवश्यक न होगा, बल्कि लाभार्थियों की उपलब्ध भूमि पर पृथक–पृथक भी आवासों का निर्माण कराया जा सकता है।
2. लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु पूर्व में तीन किश्तों में धनराशि उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये है, किन्तु अब इस धनराशि का भुगतान दो किश्तों में ही किया जायेगा। प्रथम किश्त भूमि उपलब्ध होने पर तथा दूसरी किश्त छत निर्माण होने के उपरान्त उपलब्ध करायी जायेगी।
3. अभी तक मछुआ आवासों क लाभार्थियों के चयन हेतु ग्राम सभा की खुली बैठक में चयन किए जाने की व्यवस्था है, जिसमें सहायक निदेशक मत्स्य अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण स्वयं या उनके नामित प्रतिनिधि के उपस्थित रहने की व्यवस्था है। तदोपरान्त इसका अनुमोदन मत्स्य पालक विकास अभिकरण की प्रबन्ध समिति द्वारा कराये जाने की व्यवस्था है। उक्त व्यवस्था में संशोधन करते हुए अब मछुआ आवासों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में कराया जायेगा, जिसमें जनपद के सहायक निदेशक मत्स्य/मत्स्य पालक विकास अभिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वयं उपस्थित रहेगे या उनके अपरिहार्य परिस्थितियों में अनुपस्थित रहने पर उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जो वरिष्ठ मत्स्य निरीक्षक के नीचे के स्तर का कर्मी न हो, उपस्थित रहेगे। उक्त के अतिरिक्त खण्ड विकास अधिकारी या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो सहायक खण्ड विकास अधिकारी (ए0डी0ओ0) के नीचे के स्तर का न हो, उपस्थित रहेगे। यह अधिकारी चयनित लाभार्थी सूची को प्रतिहस्ताक्षरित करेगे, ताकि पात्र व्यक्तियों के मानकों के अनुरूप चयन न होने पर उनका दायित्व निर्धारित किया जा सके। इस चयन के पश्चात किसी अग्रेतर अनुमोदन की व्यवस्था को समाप्त समझा जाये और इसी स्तर पर सूची को अन्तिम माना जायेगा।
4. ग्रामों का चयन मण्डलीय स्तर पर विभागीय समिति बनाकर किया जायेगा जो निम्नप्रकार गठित की जायेगीः–

1	सम्बन्धित मण्डल के उप निदेशक मत्स्य	अध्यक्ष
2.	सम्बन्धित जनपद के सहायक निदेशक मत्स्य अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो वरिष्ठ मत्स्य निरीक्षक के स्तर से कम न हो।	सदस्य

अथवा

सम्बन्धित जनपद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
मत्स्य पालक विकास अभिकरण

3 सम्बन्धित मण्डल के उप निदेशक मत्स्य द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी जो वरिष्ठ मत्स्य निरीक्षक के स्तर से कम न हो सदस्य

5 ग्रामों का चयन करते समय इस बात का ध्यान अवश्य दिया जायेगा कि जहां ग्रामो में पहले से ही मछुआ आवास निर्मित हो चुके है, उनके स्थान पर ऐसे ग्रामों को वरीयता दी जानी चाहिए जिसमे मछुआ समुदाय की आबादी अधिक हो तथा वहां पूर्व में मछुआ आवास न बनाये गये हो।

6. उक्त के अतिरिक्त पात्र व्यक्तियों के चयन के विषय में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप लाभार्थियों के चयन हेतु निम्न मानकों को वरीयता क्रम में रखा जायेगा:–

1. लाभार्थी सक्रिय मछुआ हो और वह मत्स्य उत्पादन कार्यक्रमों में लिप्त हो।
2. ऐसे मछुआ समुदाय के व्यक्ति को वरीयता दी जायेगी जो गरीबी रेखा के नीचे हो एवं भूमि हीन हो।
3. भूमि के स्वामी मछुआ तथा कच्चे मकान वाले मछुओं को भी लाभार्थियों के चयन के समय विचार किया जा सकता है।
4. वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत 10 मछुआ आवासों के निर्माण के विषय में शब्द (यथा संभव) लिखा हुआ है। अर्थात यदि लाभार्थियों की संख्या कम है और उनकी आवश्यकता बलवती है तो 10 से कम मकान भी एक गांव में बनाये जा सकते है। परन्तु इस प्रकार की व्यवस्था असामान्य परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप की जायेगी।

7. मछुआ आवास निर्माण से सम्बन्धित अन्य व्यवस्थायें यथावत रहेगी तथा पूर्व में निर्गत किये गये आदेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार अपने जनपदों से सम्बन्धित मछुआ आवासों के निर्माण कार्य को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार यथाशीघ्र पूर्ण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करे।

भवदीय

(बी0एम0 मीना)
सचिव

संख्याः– 1083/57–म–2001–10–7(27)/84 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेंषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर–प्रदेश।
2– निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।
3– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0, लखनऊ।
4– समस्त उप निदेशक मत्स्य/सहायक निदेशक मत्स्य, उ0प्र0।
5– समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उ0प्र0।
6– गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से

(राम कुमार प्रसाद)
उप सचिव